संख्या-126/2024/1840/22-2-2023-17(760)/2023

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 10 सितम्बर, 2024

विषयः- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दलजीत सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी जनपद-बलरामपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14368/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-31.03.2023, दिनांक 02.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी दलजीत सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह, खैराकोट हेमलेट आफ पादरी, थाना-बलरामपुर देहात, जनपद-बलरामपुर का निवासी है। बन्दी द्वारा मुकदमें बाजी की रंजिश को लेकर दिनांक 17-07-1977 को 25 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक से फायर करके 01 महिला की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-218/1980 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 323/149, 147, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, कोर्ट सं0-03 गोण्डा के आदेश दिनांक 17-09-1981 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 07-09-2017 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 01-12-2022 तक 06 वर्ष, 03 माह, 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष, 10 माह, 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा बन्दी की आयु 64 वर्ष, 04 माह, 03 दिन है। जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दलजीत सिंह (बन्दी संख्या-292/2019) पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी जनपद-बलरामपूर्व पूर्व जनपद-गोण्डा की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-126/2024/1840(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ को मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित क्रिमिनल रिट याचिका सं0-8073(एम0बी0)/2023 मालिकराज सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-01-2024, दिनांक 11.03.2024, दिनांक 21-03-2024 एवं दिनांक 04-04-2024 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।